राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

कमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 29.06.2015

**बैठक कार्यवाही विवरण**

**शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 29.6.2015 में दिये गये निर्देश निम्नानुसार हैः–**

1. विभाग की योजनाओं में 90 प्रतिशत प्रगति अर्जित करने के लिए निम्न कार्यवाही की जानी हैः–
   1. राज्य स्तर पर योजना प्रभारी की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को रखी जाए।
   2. सबसे कम प्रगति वाले जिलों के 4 सीईओ की बैठक सचिव महोदय के स्तर पर रखी जायेगी।
   3. योजनाओं के कम प्रगति तथा समय पर स्वीकृतियाँ जारी नहीं करने के संबंध में 3 मेमो जारी किये जायेगें और 3 मेमो उपरान्त 17 सीसी के नोटिस देने की कार्यवाही की जायेगी।
   4. विभाग की विभिन्न योजनाओं की आईडब्ल्यूएमएस वैबसाईट के सुधार के लिए प्रत्येक माह के 15 दिवस में एक बैठक एनआईसी के प्रतिनिधि एवं अन्य लोगों के साथ की जायेगी।

   (समस्त योजना प्रभारी)
2. थर्ड पार्टी निरीक्षण के संबंध में पुनः पत्रावली चलाकर शीघ्र निर्णय कराया जायेगा।
3. पीआरसी की बैठक की तैयारी के संबंध में आवश्यक सूचनाऐं तैयार कर 2 व 6 जुलाई को प्रमुख शासन सचिव महोदय की बैठक में रखी जायेगी।
4. सीएसआरएफ के संबंध में जिन अनुभागों द्वारा प्रस्ताव दिये गये है उनका सत्यापन एवं जिन अनुभागों द्वारा अभी तक प्रस्ताव नहीं दिये गये है वे प्रस्ताव तैयार कर कल दिनांक 30.6.2015 को सांय 5.00 बजे बैठक में उपस्थित होकर प्रजेन्टेशन देगें।

   (समस्त योजना प्रभारी)
5. बीएडीपी योजना में लाईन विभागों द्वारा कार्य में की गयी देरी के संबंध में मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर बैठक का आयोजन कराया जाए। बीएडीपी योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 की कार्ययोजना तैयार करा कर भारत सरकार को भेजी जाए।

   (योजना प्रभारी)
6. डांग, मगरा, मेवात योजना में भेजे गये समस्त प्रस्तावों की स्वीकृतियॉ 5 जुलाई 2015 तक जारी कराया जाना सुनिश्चित करें।

   (योजना प्रभारी)
7. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास द्वारा दर निर्धारण की कार्यवाही 5 पंचायत समितियों में करायी जाये तथा इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक अलग से बैठक रखी जाए जिसमें विशेषतौर पर बहुत अधिक दर निर्धारण वाली पंचायत समितियों की दरों के संबंध में पुनर्विचार किया जाये।

   (योजना प्रभारी)
8. वित्तीय सलाहकार द्वारा शेष रहे 3456 ग्राम पंचायतों में टेण्डर प्रकिया शीघ्र पूर्ण करायी जाए तथा आगामी वर्षो के लिए फरवरी माह तक टेण्डर पूर्ण हो जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किये जाए।

   (वित्तीय सलाहकार)
9. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 15वीं लोकसभा की प्रकिया के संबंध में दिनांक 30.6.2015 तक पुनः सूचना तैयार कर प्रस्तुत की जाए।

   (पीडी एसएपी–एसएस)

10. समस्त योजना प्रभारी दिनांक 1.4.2014 से पूर्व के कार्यो का अपलोडेशन आईडब्ल्यूएमएस में कर दिया गया है यह सुनिश्चित करेगें।

(समस्त योजना प्रभारी)

11. योजना की स्वीकृतियों व जिलों की प्रगति के लिए परियोजना अधिकारियों की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को रखा जाना है। प्रथम बैठक 6 जुलाई 2015 को रखी जाए जिसका एजेण्डा समस्त योजना प्रभारी आज सांय तक पीडी (मोएवंमू) को प्रेषित कर देगें।

(समस्त योजना प्रभारी)

12. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 122 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। शेष के चयन के लिए प्रत्येक सीईओ से व्यक्तिगत बात कर जहां आवश्यक हो शासन सचिव महोदय की ओर से पत्र लिखवाया जाए।

(योजना प्रभारी)

13. सहायक सांख्यिकी अधिकारियों द्वारा ली गयी ट्रेनिंग के संबंध में एनआईसी के माध्यम से उनका टेस्ट कराया जाए।

(योजना प्रभारी)

14. विधान सभा के चतुर्थ सत्र के बकाया सभी प्रश्नों को पूर्ण करा लिया जायें।

(योजना प्रभारी)

15. सभी योजना प्रभारी अपने अनुभाग के कार्मिकों की बैठक लेगें तथा उसकी मिनट्स कम से कम एक पृष्ठ की जारी कर सचिव महोदय को अवगत करायेंगे।

(समस्त योजना प्रभारी)

16. मा0 मंत्री महोदय, जनस्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा सामुदायिक भवन की राशि घटाने व उसके आकार के संबंध में दिये गये निर्देशों को रिवाईज करने तथा नलकूपों के संचालन हेतु स्थानीय यूजर कमेटी को संचालन की जिम्मेदारी हेतु दिये गये प्रस्तावों को पत्रावली पर प्रस्तुत करें।

(योजना प्रभारी)

17. आगामी बैठकों में प्रत्येक योजना प्रभारी आईडब्ल्यूएमएस पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर योजनाओं के बारे में विचार–विमर्श करेगें अतः सभी योजना प्रभारी वैबसाईड पर उपलब्ध एमपीआर का पूर्ण अध्ययन कर बैठक में उपस्थित होगे।

(योजना प्रभारी)

30/6/15

परि0निदे0 पदेन उप सचिव
(मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. अति0 मुख्य अभियन्ता एवं परि0निदे0एवं पदेन उप सचिव(सीएसएस) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

30/6/15

परि0निदे0 पदेन उप सचिव (मोएवंमू)